राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
04/25	22.01.25	22.01.25

बउनवान

1. दुलारी देवी पत्नी स्व. लज्याराम मीना निवासी ढिगारिया कपूर बैजूपाडा दौसा।
2. पुष्पेन्द्र पुत्र स्व. लज्याराम मीना निवासी ढिगारिया कपूर तहसील बैजूपाडा दौसा।
3. मनीषा पुत्री स्व. लज्याराम मीना निवासी ढिगारिया कपूर तहसील बैजूपाडा दौसा।
4. रवीना पुत्री स्व. लज्याराम मीना निवासी ढिगारिया कपूर तहसील बैजूपाडा दौसा।
5. सरिता पुत्री स्व. लज्याराम मीना निवासी ढिगारिया कपूर तहसील बैजूपाडा दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार बैजूपाडा जिला दौसा।
2. ठंडीराम मीना पुत्र रामसहाय मीना निवासी ढिगारिया कपूर बैजूपाडा दौसा।
3. सुरेश मीना पुत्र कंचन मीना निवासी ढिगारिया कपूर तहसील बैजूपाडा दौसा।
4. मुरारीलाल मीना पुत्र जगन्याराम मीना निवासी ढिगारिया कपूर तहसील बैजूपाडा दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री शिवदत्त जैमिनी।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128
राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से, जरिये अभिभाषक श्री शिवदत्त जैमिनी, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खाता सं. नया 182 पुराना 174 खसरा सं. 1599/577 रकबा 0.08 हैक्टे., 1601/578 रकबा 1.56 हैक्टे. कुल खसरे 2 कुल रकबा 1.64 हैक्टे. के सम्पूर्ण रकबे पर काबिज है जो वाके ग्राम ढिगारिया कपूर, पटवार हल्का ढिगारिया भीम, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण आराजी भूमि को उपयोग–उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी भूमि में से प्रार्थीगण की आराजी भूमि के पूर्व, उत्तर दिशा में रिकार्डेड रास्ते हैं। साथ ही खसरा सं. 1599/577 के सटवा अप्रार्थी सं. 4 की आराजी भूमि पश्चिम दिशा में स्थित है। इसका फायदा उठाते हुए अप्रार्थी सं. 4. प्रार्थीगण की आराजी भूमि में स्थित खेत की मेड तोड कर अवैध तरीके से जोत लगाकर आराजी भूमि पर कब्जा कर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करता चला आ रहा हैं। प्रार्थीगण के मना करने पर अप्राथी सं. 4 लडाई झगडा करने पर आमादा हो जाता हैं। प्रार्थीगण शांतिप्रिय व्यक्ति है और बगैर विवाद के चाहते हैं कि

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी सं. 4 अपनी सीमा में ही रहे परन्तु अप्रार्थी सं. 4 ने जबरदस्ती से प्रार्थीगण की काफी आराजी भूमि के खसरा सं. 1599/577 पर अवैध कब्जा कर लिया है और करने पर आमादा होता आ रहा हैं। प्रार्थीगण की आराजी भूमि के दक्षिण में स्थित अप्रार्थी सं. 2 व 3 की आराजी भूमि सटवा है जिसकी सीमा को लेकर भी विवाद का भय कारित होता है। प्रार्थीगण ने दिनाँक 15.05.24 को अप्रार्थीगण से अपनी–अपनी कब्जे काश्त की आराजी भूमि की सीमा का निर्धारण करवा सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवा कर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अपनी आराजी भूमि पर कब्जा लेने हेतु अनुरोध किया परन्तु अप्रार्थी सं. 2, 3 व 4 एवं उनके परिजनों ने प्रार्थीगण की आराजी भूमि में क्षतिकारित करने व अवैध कब्जे की नीयत से सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाने से इंकार कर दिया तथा खेत की मेढ़ को तोड़ने तथा प्रार्थीगण को मारने पर उतारू हो गये। अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने ऐलानिया धमकी भी दी कि अब जोत लगाने पर मेढ़ तोडकर प्रार्थीगण की आराजी पर अधिक अवैध कब्जा करेगें। प्रार्थीगण दिनांक 29.05.24 को राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में सीमाज्ञान भी करवा चुके हैं। अब अपने कब्जे काश्त की आराजी के खसरों का सीमाज्ञान के साथ पत्थरगढी का आदेश न्यायालय से करवा आराजी को सुरक्षित करना चाहते हैं। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के खसरे जो पश्चिम व दक्षिण दिशा में स्थिति के विवाद को लेकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच कभी भी कोई अपूर्तनीय क्षति आराजी भूमि की सीमा को लेकर घट सकती है. जिसकी कल्पना करना असंभव है। अतः निवेदन है कि ग्राम ढिगारिया कपूर, तहसील बैजूपाडा में स्थित प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा सं. 1599/577 रकबा 0.08 हैक्टे., 1601/578 रकबा 1.56 हैक्टे., कुल रकबा 1.64 हैक्टे. की चारों दिशाओं में पत्थरगढी के आदेश करें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी संम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार, ग्राम ढिगारिया कपूर तहंसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा सं. 1599/577 रकबा 0.08 हैक्टे., 1601/578 रकबा 1.56 हैक्टे., कुल खसरे 2 कुल रकबा 1.64 हैक्टे., के प्रार्थीगण दर्ज रिकार्ड खातेदार है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात का दिनांक 29.05.24 को तहसीलदार बैजूपाडा के द्वारा गठित टीम के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने के अधिकारी है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम ढिगारिया कपूर तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित खसरा सं. 1599/577 रकबा 0.08 हैक्टे., 1601/578 रकबा 1.56 हैक्टे. रकबा 1.64 हैक्टे. के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण के उक्त खसरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

सं. की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अ. निरीक्षक गोलाडा को 1500/— रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थीगण की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावें। अतः भू. अ. निरीक्षक गोलाडा मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण एवं पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बैजूपाडा को पालनार्थ हेतु लिखा जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner